संख्याः1332/XXIV-3/17/02(90)2017

प्रेषक,

कै0 आलोक शेखर तिवारी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 2। दिसम्बर, 2017

विषयः **वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवश्यकता से न्यून धनराशि प्राविधानित होने के कारण अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था हेतु पुर्नर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः अर्थ–1/19604/5क/01(15)/2017–18, दिनांकः 29 सितम्बर, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान सं0 11 राजस्व पक्ष में विभिन्न लेखाशीर्षकों के मानक मद–21–छात्र वेतन, 01–वेतन तथा 43–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान में वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवश्यकता से न्यून धनराशि प्राविधानित होने के कारण अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था पुर्नर्विनियोग के माध्यम से किये जाने हेतु संलग्न बी0एम0–09 (तीन) प्रपत्र में उल्लिखित में रू0 3297159.00 हजार (रूपये तीन अरब उंनतीस करोड़ इकहत्तर लाख उनसठ हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत करते हुए आपके निवर्तन में रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल, महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(क) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है एवं व्यय करते समय विभागीय तथा वित्तीय नियमों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

(ख) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बज़ट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हों, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(ग) यह उल्लेखनीय है कि व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(घ) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्याशासनादेश संख्याः 610/3(150)XXVII(1)/2017, दिनांकः 30 जून, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन किया जायेगा।

(ड़) मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में **अनुदान संख्याः–11** के अधीन राजस्व पक्ष के लेखा शीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 02–माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0–09 (तीन) प्रपत्र में उल्लिखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 113(म0)XXVII(3)/2017–18, दिनांकः 04 दिसम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न :यथोक्त

भवदीय,

(कै0 आलोक शेखर तिवारी)
अपर सचिव।

पृष्ठाकंन संख्याः1332(1)/XXIV-3/17/02(90)2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुंख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री,उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– निदेशक, कोषागार, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय।
10–विभाग (अनुभाग–3) उत्तराखण्ड शासन।
11–कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग।
12–एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
13–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महिमा)
उप सचिव।